राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.10(1)(राज-6/94/पार्ट/) जयपुर, दिनांक:- 18-2-98

-: अ धि सू च ना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 261 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 301 में संशोधन :-

(i) उप नियम (1) में शब्दों " राजस्व बोर्ड " के स्थान पर शब्द " खण्ड आयुक्त " और शब्द " राज्य " के स्थान पर शब्द " खण्ड " स्थापित किया जायेगा।

(ii) विद्यमान उप-नियम (2) के अन्त में स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, -

" पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी का चयन निम्नलिखित से गठित समिति के द्वारा किया जायेगा. -

1. खण्ड आयुक्त -अध्यक्ष
2. खण्ड मुख्यालय का जिला कलेक्टर -सदस्य
3. अतिरिक्त खण्ड आयुक्त -सदस्य सचिव

(iii) विद्यमान उप-नियम (3) में विद्यमान शब्द " बोर्ड " के स्थान पर शब्द " खण्ड आयुक्त " प्रतिस्थापित किया जायेगा और विद्यमान अभिव्यक्ति " क्षेत्र सर्वेक्षण में उच्चतर प्रवीणता या उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा " हटायी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव, राजस्व